आवश्यक / E-Mail Today

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक प. 25(15)आयु./2001 पार्ट II जयपुर, दिनांक : 09 JUL 2019

आदेश

औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (Drugs & Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954) तथा औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) नियम, 1955 अन्तर्गत कोई भी भ्रामक विज्ञापन किसी औषधि के बारे में प्रकाशित करवाता है, प्रचारित करता है, तथा मुद्रण करता है, यह कृत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 6 के अन्तर्गत वर्जित है, धारा 7 में दण्डनीय है तथा धारा 9—अ के द्वारा संज्ञेय (Cognizable) अपराध है।

अतः समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले भ्रामक व अश्लील विज्ञापनों की रोकथाम व उन पर कार्यवाही करने हेतु इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.08.2014 के अतिक्रमण में औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) नियम, 1955 तथा औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 8 के प्रावधान अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद विभागान्तर्गत जिला स्तर पर कार्यरत समस्त सहायक निदेशक को उनके जिले के क्षेत्राधिकार में कार्य/कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

आज्ञा से,
9/7
(एच.एम. ढाका)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय आयुर्वेद विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
6. निजी सचिव, शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
7. संभागीय आयुक्त, समस्त।
8. जिला कलक्टर, समस्त।
9. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त।
10. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर को आवश्यक कार्यवाही एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने बाबत्।
11. निदेशक, होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सा विभाग जयपुर।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है (राज—ई गजट मॉड्यूल अन्तर्गत ऑनलाईन कर, पृथक से प्रेषित किया जा रहा है)।
13. रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
14. प्राचार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
15. औषधि नियत्रंक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
16. सहायक औषधि नियत्रंक, आयुर्वेद विभाग जयपुर।
17. समस्त सहायक निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान।

09/07
(बाबू लाल मीना)
सहायक शासन सचिव

Scanned by CamScanner